न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
01/2025	29.07.2025	28.11.2025

1. केशूली पुत्री गैल्या पत्नी गिरमोहन, माली निवासी नौगांव तह0 तलावडा
2. बने सिंह पुत्र गैल्या, माली निवासी नौगांव तह0 तलावडा ——प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील तलावडा ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि खाता संख्या 112, 215, 214 ग्राम नौगांव मे स्थित है। जमाबंदी मे प्रार्थी संख्या 1 का नाम गलती से केशन्ती दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी संख्या 1 का वास्तविक नाम केशूली है तथा आधार कार्ड, परिचय पत्र इत्यादि मे भी प्रार्थी संख्या 1 का नाम केशूली है। प्रार्थी संख्या 1 का नाम केशूली पुत्री गैल्या पत्नी गिरमोहन जाति माली निवासी गैरई तह0 सपोटरा दर्ज किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 का नाम बने सिंह पुत्र गैल्या है लेकिन जमाबंदी मे प्रार्थी संख्या 2 का नाम बना पुत्र गैल्या गलत दर्ज कर दिया गया है। जिसके दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त गलती विरासत का नामान्तकरण खोलते समय हुई थी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के नाम मे दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 215, 214, 112 ग्राम नौगांव, फोटोकोपी आधार कार्ड बने सिंह, केशूली देवी प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार तलावडा से रिपोर्ट चाही गई।

अप्रार्थी तहसीलदार तलावडा की ओर से उनके पत्र क्रमांक राजस्व/25/1550 दिनांक 26.09.2025 के साथ रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके साथ पटवारी हल्का नौगांव की मूल रिपोर्ट भी संलग्न की गई है।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तहसीलदार तलावडा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करवाए जाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम नौगांव की वर्तमान जमाबंदी संवत 273–76 के अनुसार खाता संख्या 215 मे केशन्ती

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.12.29 16:56:23 IST
Reason: SelfAttested

पुत्री गेल्या हि0 1/30 व बना पुत्र गेल्या हि0 1/30, खाता संख्या 214 मे केशन्ती पुत्री गेल्या हि0 1/30, बना पुत्र गेल्या हि0 1/5, खाता संख्या 112 मे केशन्ती पुत्री गेल्या हि0 1/30 जाति माली सा. देह खातेदार के रूप मे प्रार्थीगण दर्ज है। साबिक जमाबंदी संवत 2065–68 के खाता संख्या 119 पर नामान्तकरण संख्या 1075 दिनांक 5.4.11 द्वारा गेल्या पुत्र गोरधन हि0 1/6 के स्थान पर विरासत से गिर्राज, सुन्दरलाल, बना पि0 गेल्या, केशन्ती, रूमाली पुत्रियॉ गेल्या माली हि0 ब0 हि0 1/6 के नाम एवं खाता संख्या 118 पर नामान्तकरण संख्या 1075 दिनांक 5.4.11 द्वारा गेल्या पुत्र गोरधन हि0 1/6 के स्थान पर विरासत से गिर्राज, सुन्दरलाल, बना पि. गेल्या, व केशन्ती, रूमाली पुत्रियॉ गेल्या माली हि0ब0हि0 1/6 दर्ज हुआ। तत्समय जमाबंदी संवत 2065–68 से लेकर अब तक प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड मे केशन्ती पुत्री गेल्या, बना पुत्र गेल्या के रूप मे दर्ज है। प्रस्तुत प्रकरण मे तहसीलदार तलावडा द्वारा प्रार्थीगण के नाम संशोधन की कोई अभिशंषा नही की गई है एवं प्रार्थिया का नाम प्रार्थना पत्र के टाईटल मे केशली पुत्री गेल्या पत्नी गिरमोहन दर्ज किया गया जबकि प्रार्थिया अपना नाम केशूली दर्ज कराना चाहती है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.12.29 16:36:23 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (प्रथम) गंगापुर सिटी (स०मा०) सत्यमेव जयते